

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 29.11.2020

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यूपी (सी)07/2020 में दिनांक 27.11.2020 को दिए गए निर्देशों के क्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.11.2020 की निरन्तरता में समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सालयों में आगजनी एवं शार्ट सर्किट से बचाव हेतु समस्त राजकीय चिकित्सालयों में विद्युत व्यवस्था एवं विद्युत उपकरणों की सुरक्षा जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सात दिवस में करवाया जाना सुनिश्चित करे तथा इनकी भविष्य में भी नियमित तौर पर सुरक्षा जांच करवाई जावे।

Su 29/11

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय,
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 7 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
- 8 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 9 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करावे।
- 10 समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
- 11 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- 12 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 13 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 14 समस्त निजी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान।
- 15 जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
- 16 निजी/रक्षित/कम्प्यूटर सैल।

Su

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव